न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 58/2019/अपील

1 संजय पुत्र जगमाल जाति यादव

2 कानाराम पुत्र रामदेव जाति यादव

निवासीगण वार्ड संख्या 24, गोपाल होटल के पास, खेतड़ी मोड़ नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.2019 मु.न. 86/2019 अनुवानी सरकार बनाम संजय आदि द्वारा न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना

वकील अपीलांट श्री अमरसिंह सुण्डा

निर्णय दिनांकः–21.01.2020

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि सहायक अभियंता सा0नि0वि0 उपखण्ड नीमकाथाना में दर्ज मौका रिपोर्ट दिनांक 10.04.2019 द्वारा सम्वत् 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा ग्राम नीमकाथाना की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1286 किस्म गैर मु0 सड़क कुल रकबा 0.85 हैक्टर भूमि है। इस भूमि पर 83.64 वर्गमीटर पर पक्की दुकान बनाकर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से गैर सायल (अपीलान्ट्स) द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, इस रिपोर्ट पर प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज किया जाकर अपीलांट को अं0 धारा 91 का नोटिस दिया गया। अपीलान्ट ने हाजिर होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया। उभय पक्ष की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध पारित कर दिया। अपीलान्ट कानाराम ने दिनांक 17.06.1987 मे अपनी पत्नी के नाम से भूखण्ड 660 वर्गगज खरीदा गया और उसके बाद 88 वर्गगज का भूखण्ड दिनांक 23.12.87 को खरीदा था। कानाराम की धर्मपत्नी शान्ती देवी के नाम से कुल 660+88=748 वर्गगज जगह का भूखण्ड खरीदा गया। इस भूखण्ड पर अपीलान्ट अपने मकान व दुकान बनाकर पिछले 35–40 वर्षो से काबिज चला आ रहा है। अपीलान्ट ने अपने खरीदशुदा भूखण्ड में ही अपने मकान व दुकान बना रखी है। यह तथ्य व दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों की ओर कोई ध्यान नहीं देकर अपना निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट कानाराम एक वृद्ध व्यक्ति है तथा उसके कोई पुत्र नहीं है, केवल मात्र एक पुत्री है। कानाराम अपनी दुकानों में अपना रोजगार कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। इसके अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं है और इन गलत आधारों पर यदि अपीलान्ट को इस जगह से बेदखल कर दिया गया तो अपीलान्ट को अपूरणीय क्षति होगी। अपीलान्ट ने अपने खरीदशुदा भूखण्ड पर 35–40 वर्ष

पहले से अपने पक्के मकान व दुकान बना रखी है तथा चारों ओर पक्का निर्माण अपनी खरीदशुदा जगह में कर रखा है। खसरा नम्बर 1286 पर अपीलान्ट ने कोई कब्जा नहीं कर रखा है। खसरा नम्बर 1286 में जो रोड़ बनी हुई है उस रोड़ से अपीलान्ट का भूखण्ड काफी दूरी पर अवस्थित है। खसरा नम्बर 1286 भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है, केवल मात्र लोगों की झूंठी शिकायत पर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये अतिक्रमण माना गया है जो गलत व न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थी/अपीलान्ट का भूखण्ड व मकान मुख्य रोड पर खुलते है और अपीलान्ट के आस पास सैकड़ी मकान रोड पर खुलते हुये है, ये सब मकान व दुकान, होटल आदि रोड़ पर खुलती हुई अनेक व्यक्तियों ने दुकान बना रखी है, आस पड़ौस की दुकान व होटले बनी हुई है। इनके आगे अपीलान्ट की दुकाने नहीं बनी हुई है, इन अन्य दुकानों से पिछे ही अपने भूखण्ड पर दुकाने बनी हुई है लेकिन बिना वास्तविक जांच करवाये राजनैतिक दबाव के गलत जांच रिपोर्ट पेश की गई है। अपीलांट्स प्रार्थीगण ने अपने मकान व दुकान अपने खरीदशुदा भूखण्ड में 35—40 वर्ष पहले से बना रखी है, भूमि खसरा नम्बर 1286 के 83.64 वर्गमीटर पर कोई कब्जा, अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा मुकदमा संख्या 86/2019 उनवानी सरकार बनाम संजय आदि में पारित निर्णय दिनांक 10.06.2019 को निरस्त करने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक अभियन्ता सा.नि.विभाग उपखण्ड नीममकाथाना की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अपीलांटान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए एवं जवाब नोटिस पेश किया। अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत जवाब को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांटान द्वारा ग्राम नीमकाथाना के खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.85 है0 किस्म गै.मु.सड़क की भूमि पर पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण के सम्बंध में ग्राम नीमकाथाना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1286 किस्म गै.मु.सड़क रकबा 0.85 है0 के सम्बंध में तहसीलदार नीमकाथाना से मौके की जांच करवाई जाकर जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त जांच रिपोर्ट मुताबिक भूमि खसरा नम्बर 1286 में नीमकाथाना खेतड़ी सड़क के समानान्तर पक्का निर्माण किया हुआ है जिसमें सलंग्न सूची के मुताबिक 16 व्यक्त्यिों द्वारा अतिक्रमण किया जाना अंकित किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ग्राम नीमकाथाना के राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.85 है0 किस्म गै.मु.सड़क में से 83.64 वर्गमीटर भूमि पर अपीलांटान द्वारा पक्की दुकाने बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर बेदखली हेतु पारित किया है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांटान द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांटान का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमित भूमि की किस्म गै.मु.सड़क है। गै.मु.सड़क की भूमि पर अपीलांटान को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः गै.मु.सड़क की भूमि पर अपीलांटान द्वारा पक्की दुकाने बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 10.06.2019 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांटान खारिज की जाती है।

तहसीलदार नीमकाथाना को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम नीमकाथाना में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.85 है0 किस्म गै.मु.सड़क का सीमाज्ञान/नाप किया जाकर सीमाज्ञान उपरांत किसी अन्य अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण कर रखा है तो नियमानुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर आवश्यक कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/1/20

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अपर जिला कलक्टर, सीकर

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2020.01.28 17:33:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: